SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

ई–संविदा एवं ई–संविदाओं की प्रवर्तनीयताः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

ओमेन्द्र सिंह, शोधार्थी, **विनोद कुमार,** Ph.D., विधि संकाय
श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, झुंझुनूं, राजस्थान, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
ओमेन्द्र सिंह
विनोद कुमार, Ph.D.

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 18/09/2023
Revised on : -----
Accepted on : 25/09/2023
Plagiarism : 00% on 18/09/2023

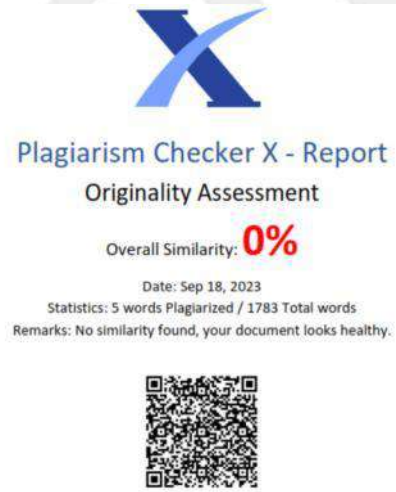

शोध सार

ई–संविदा जिसे अन्य शब्दों में ई–कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित अवधारणा है। तकनीकी विकास के साथ ही साथ ई–संविदाओं में भी इजाफा हुआ है। वर्तमान में इंटरनेट का प्रयोग सामान्य जन अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं जैसे की वस्तुओं की खरीदारी एवं बिक्री के लिए कर रहा है। ई–संविदा उस संविदा को कहा जाता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जाता है जैसे की ई–मेल, मैसेंजर, एयूएलए आदि। ई–संविदा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठकर बहुत ही आसानी से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। ई–संविदा में सामान्य संविदा की तरह पक्षों का एक दूसरे के आमने–सामने होना आवश्यक नहीं होता है। इस प्रकार की संविदा में पक्षकार इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करके देश के एक कोने से बैठकर विश्व में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ संविदा कर सकता है वर्तमान शोध पत्र के माध्यम से ई–संविदा की अवधारणा एवं भारत के सन्दर्भ में इससे सम्बन्धित विधि के बारे में अध्ययन किया जायेगा।

मुख्य शब्द

ई–संविदा, करार, साइबर, प्रौद्योगिकी, इण्टरनेट, इलेक्ट्रॉनिक साधन.

प्रस्तावना

ई–संविदा या ई–अनुबंध से तात्पर्य ऐसी संविदा से है जिसमें सामान्य संविदा की भांति पक्षकारों का एक दूसरे के सामने आकर संविदा नहीं करना होता है। यह संविदा इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा की जाती है जैसे कि इण्टरनेट का प्रयोग करके ई–मेल आदि के द्वारा संविदा का निर्माण, कम्प्यूटर के माध्यम से विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर खरीदारी करके या बिक्री करके जैसे कि फ्लिपकार्ट,

अमेजन, मंत्रा आदि। कोरोना महामारी के बाद वैश्विक स्तर पर ई–संविदा में इजाफा देखा गया। भारत में भी ई–संविदाओ में अकल्पनीय वृद्धि हुई। आम जनमानस द्वारा वैश्विक महामारी के दौरान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कई संव्यवहार में खरीददारी किया गया। इससे लोगों के समय की बचत तो हुई ही साथ ही साथ इससे लोगों के धन की भी बचत हुई, क्योंकि व्यापारी जो भी अपना सामान बेचना चाहते थे उसको वह वेबसाइट पर प्रदर्शित कर देते है। ग्राहक उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीद लेता है। इस प्रकार व्यापारी को न तो किसी कमर्शियल स्थान पर दुकान लेने की आवश्यकता ही होती थी और न ही उसके लिए कर्मचारी ही रखना होते थे। इससे लागत तो कम होती ही थी, और ग्राहकों को सस्ते दर पर सामान भी सुलभता से उपलब्ध हो जाता है। ई–कॉमर्स के माध्यम से व्यापार में लगने वाला समय तो कम हुआ ही है, साथ ही साथ एक साधारण व्यक्ति की पहुंच भी आवश्यकतानुसार उत्पादक आसानी से हुई है। वर्तमान में कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट ने सूचना एवं संचार के क्षेत्र में वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी ने निश्चित रूप से लोगों के जीवन शैली को बहुत ही प्रभावित किया है। इण्टरनेट ने पूरे विश्व में एक नई क्रांति ला दी है। यदि किसी व्यक्ति के पास इलेक्ट्रॉनिक साधन है, तो उसे संसार बहुत ही छोटा लगता है। वह कंप्यूटर, लैपटॉप ,मोबाइल आदि के माध्यम से अपनी सभी आवश्यकताओं को बहुत ही आसानी से पूरा कर लेता है। कोरोना महामारी ने निश्चित तौर पर न केवल भारत को प्रभावित किया, बल्कि पूरे विश्व पर भी सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक प्रभाव डालें। इस दौरान भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ ऑनलाइन व्यापार बहुत ही परिष्कृत रूप में नहीं था, उसको परिष्कृत किया। सामान्य जनमानस को कोरोना महामारी ने मजबूर किया कि वह अपने बचाव के लिए ही सही लेकिन तकनीकी का प्रयोग करें और जनमानस ने ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन व्यापार आदि को अपनाया।

संविदा का अर्थ

ई–संविदा का अर्थ ऐसी संविदा से है, जिसमें दो या अधिक व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संविदा करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो यह एक ऐसी संविदा है जिसमें इण्टरनेट का उपयोग द्वारा संविदा सृजित की जाती है। संविदा में इंटरनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी के माध्यम से ई–संविदा हेतु प्रस्ताव एवं स्वीकृत की जाती है। ई–संविदा के सामान्य प्रकार ई–मेल, ई.यू.एल.ए. आदि है। ई–संविदा का प्रारम्भ 1990 के दशक से माना जाता है क्योंकि 1990 का दशक कंप्यूटर क्रांति का समय माना जाता है। उस दौरान कंप्यूटर के प्रयोग ने पूरे विश्व में एक नई क्रांति ला दी। बाजार का वैश्वीकरण हुआ और लेनदेन ऑनलाइन माध्यमों से होने लगा। भारत में भी वर्तमान समय में ई–संविदाओं के माध्यम से बहुत से व्यापार किये जा रहे हैं।

वैध ई–संविदा के आवश्यक तत्व

सामान्य संविदा के समान ई–संविदा पर भी भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के सामान्य प्रावधान लागू होते हैं। एक सामान्य संविदा के लिए जिस प्रकार सक्षम पक्ष, स्वतंत्र सहमति, वैध प्रतिफल एवं विधि पूर्ण उद्देश्य की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार ई–संविदा के लिये भी निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है:

1. प्रस्ताव।
2. स्वीकृति।
3. प्रतिफल।
4. विधिक सम्बन्ध बनाने का आशय।
5. सक्षमता।
6. स्वतंत्र सहमति।
7. विधि पूर्ण प्रतिफल।

उपरोक्त सभी बिंदुओं के संदर्भ में भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के सभी प्रावधान लागू होते हैं। उनके

बिना यदि ई–संविदा की जाती है, तो वह वैध ई–संविदा नहीं होगी, अर्थात् इन सभी उपरोक्त बिंदुओं का होना अति आवश्यक है। सामान्य संविदा में न्यूनतम दो पक्षकारों का होना आवश्यक है, और दो से अधिक भी पक्षकार भी हो सकते हैं। ई–संविदा में कम से कम तीन पक्षकारों का होना आवश्यक है। अधिकतम कितने भी हो सकते हैं । ई–संविदा हेतु जो पक्षकार है, वह निम्नलिखित हैः

1. प्रवर्तक।
2. मध्यवर्ती।
3. प्रेषिती।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 (यक) के अनुसार प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो की कोई इलेक्ट्रॉनिक संदेश उत्पन्न करता है, एवं उसे किसी अन्य व्यक्ति को भेजता है। इसमें मध्यवर्ती शामिल नहीं है। मध्यवर्ती सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(ब) में परिभाषित है। मध्यवर्ती वह व्यक्ति होता है जो कि किसी अन्य व्यक्ति (प्रवर्तक) की ओर से किसी इलेक्ट्रॉनिक संदेश को प्राप्त करता है, या पारेषित करता है। प्रेषिती को सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(ख) में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार प्रेषिती वह व्यक्ति है जिसको प्रवर्तक के द्वारा कोई इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजा जाता है।

इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने वाले व्यक्ति प्रवर्तक कहलाता है। मध्यवर्ती वह व्यक्ति है जो कि प्रवर्तक से किसी अन्य को संदेश भेजने के लिये प्राप्त करता है एवं प्रेषिती वह व्यक्ति है जिसे संदेश भेजा जाता है।

ई–संविदा के प्रकार

ई–संविदा निम्नलिखित तीन प्रकार की होती हैः

1. ब्राउज रैप संविदा।
2. क्लिक रैप संविदा।
3. श्रिंक रैप संविदा।

क्लिक रैप संविदा वह संविदा होती है जिसमें व्यक्ति ऑनलाइन संविदा करते समय वेबसाइट पर आइकॉन बॉक्स में दिये गये शब्दों में 'सहमत हूँ' या 'असहमत हूँ' पर क्लिक करके संविदा में प्रवेश करता है।

ब्राउज रैप संविदा एक अनुज्ञप्ति की संविदा है, जिसमें संविदा के पक्ष को किसी वेबसाइट से कोई विषय वस्तु डाउनलोड करने के लिये पहले अपनी सहमति देनी होती है। यदि वह सहमति दे देता है तभी वह उस वेबसाइट का प्रयोग कर सकता है, अन्यथा वह उस वेबसाइट का प्रयोग नहीं कर सकता है। यदि वह अपनी सहमति दे देता है तो वह वेबसाइट पर दिये गये कंटेंट्स को पढ़ सकता है, देख सकता है, उसे डाउनलोड कर सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है।

श्रिंक रैप संविदा में संविदा की शर्तें उत्पाद के साथ पारदर्शी पैकेजिंग मैटेरियल में रहती हैं। उत्पाद पैक के अंदर रहता है सामान्यता यह पैकिंग प्लास्टिक से की जाती है। प्लास्टिक के अंदर जो उत्पाद होता है उस उत्पादन पर कुछ शर्तें लिखी रहती है। उन शर्तों को ऊपर से ही देखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति उसे उत्पाद को खरीदता है और उसके बाद उसे प्रयोग करता है तो माना जाता है कि वह शर्तें उस व्यक्ति पर लागू हो गई है। अर्थात् वह व्यक्ति श्रिंक रैप संविदा में बाध्य हो जाता है ।

ई–संविदाओं की प्रवर्तनीयता

भारत में ई संविदाओं पर भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधान लागू होते हैं, यद्यपि संविदा विधि में ई–संविदाओं की प्रवर्तनीयता के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रावधान उपबन्धित नहीं है। ई–संविदाओं को मान्यता भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में धारा 4 के द्वारा दी गयी है। यह धारा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को मान्यता प्रदान करता है, एवं अधिनियम की धारा 10(क) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गयी ई–संविदा को विधिक मान्यता प्रदान

करती है। इस धारा के अनुसार यदि किसी संविदा में प्रस्ताव या स्वीकृति या उसका प्रतिफल इलेक्ट्रॉनिक साधनों से किया जाता है तो ऐसी संविदा को प्रवर्तनी माना जाता है। अधिनियम की धारा 13 ई–संविदाओं से सम्बन्धित दस्तावेजों के भेजने के समय एवं स्थान के बारे में प्रावधान करती है। इसी प्रकार सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अन्य प्रावधान ई–संविदाओं की प्रवर्तनीयता को भी सुनिश्चित करते हैं।

ई–संविदाओं से सम्बन्धित प्रमुख विधियाँ

इस संविदाओं से सम्बन्धित प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैः

1. भारतीय संविदा विधि, 1872
2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के सभी प्रावधान ई–संविदा पर भी लागू होते है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ए से लेकर धारा 65ज तक के सभी प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की ग्राह्यता से सम्बन्धित है जो कि ई–संविदाओं पर भी समान रूप से लागू होते हैं। इसी प्रकार से सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 में जो शब्द परिभाषित किये गये हैं, यदि वह ई–संविदाओं से सम्बन्धित है तो उस पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की वह परिभाषायें लागू होती है साथ ही साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 4 धारा, 10 (क) धारा 13 व अन्य धाराएं भी इसी प्रकार से लागू होती है।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में तकनीकी विकास के कारण लोगों की जीवन शैली में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सूचना का आदान–प्रदान वर्तमान समय में भौगोलिक सीमाओं या समय सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। आज सूचना का आदान–प्रदान पलक झपकते ही किया जा सकता है। तकनीकी विकास ने जहाँ एक और सामान्य जनमानस की सुविधाओं को बढ़ाया है, वहीं इससे कई प्रकार के दुष्परिणाम भी लोगों के सामने आ रहे हैं। ई–संविदा जितना लाभदायक है उतना ही कहीं न कहीं इससे लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वर्तमान में उपलब्ध विधि ई–संविदाओं के सम्बन्ध में पर्याप्त नहीं है। इसमें संशोधन की आवश्यकता है और नई विधियों को बनाने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची

1. सिंह, अवतार ,2022 संविदा विधि एवं विनिर्दिस्ट अनुतोष अधिनियम, ईस्टर्न बुक कम्पनी।
2. श्रीवास्तव, एस. एस. 2023, संविदा विधि फर्स्ट एंड सेकंड, सातवां संस्करण, एएलपी।
3. बंगिया, आर के., 2023 भारतीय संविदा अधिनियम, 16वां संस्करण, एएलपी।
4. गोयल बी.के., 2021, संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत, सिंघल लॉ पब्लिकेशन।
5. झाववाला, एन.एच., 2023, संविदा विधि, सी जमाल दास एण्ड कम्पनी।
6. जैन अशोक, 2023, संविदा विधि, एक्सेंट पब्लिकेशन।
7. एलआईसीआफ इण्डिया बनाम कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च 1811 एससी1995।
8. लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त 489 ए.एल.जे., 1913।
9. लिली व्हाइट बनाम मनु स्वामी, मद्रास, 13 एससी 1966।
10. भगवान दास गोवर्धन दास केडिया बनाम गिरधारी लाल एण्ड कम्पनी ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 543।

****